

व तारीख  
इस  
मिल

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
(PLMS no 2015/00105) 396/15

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो  
इस हुकम की  
तामील में जारी  
है

ओपन रिज 278 डिमांड (PL-बनकर) डिमांड मुद्रा अंतर

07/2/19

ह वही पेय है जो द्वारा प्रोके, प्रस्ताव पारित कर  
अधिक कार्य स्थिति में जाने से पूर्व आदेशानुसार  
गवाहनी दिनांक 19/2/19 को पेय हो।

संभागीय आयुक्त  
जयपुर

19/2/19

ह वही पेय हुई। बार द्वारा प्रोके, प्रस्ताव पारित कर  
अधिक कार्य स्थिति में जाने से पूर्व आदेशानुसार  
गवाहनी दिनांक 19/3/19 को पेय हो।

संभागीय आयुक्त  
जयपुर

12/3/19

पत्रावली पेय हुई। अधिकांश उभयपक्ष  
उपस्थित, अधिकांश अपीलार्थ ने पक्षकारों  
के मध्य राजीनाम संभावित बताते हुए डायली  
तारीख पेय कर डायली विद्वे अपेक्षा  
अवकाश लिए अवकाश प्राप्त उन्हें पक्ष  
अवकाश और दिया जाता है। पत्रावली  
दिनांक 26/3/19 को पेय है।

संभागीय आयुक्त  
जयपुर

26/3/19

पत्रावली पेय हुई। अधिकांश अपीलार्थ अनुपस्थित।  
अधिकांश रजिस्ट्रार उपस्थित, प्रकरणा के बावजूद  
आवाज दिलाई गई किन्तु अपीलार्थ की ओर के कोर्ट  
की उपस्थिति, पत्रावली को अवलोकन किया गया।  
अधिकांश अपीलार्थ को गुर्वा है। अतिरिक्त अवकाश दिया  
गया है तथा अधिकांश अपीलार्थ आज उपजगल में  
समक्ष उपस्थित नहीं है तथा अपीलार्थ की ओर के  
अन्य कोर्ट भी हाजिर नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थ  
अपीलार्थ अद्वैत पक्षी, आदेश प्रेषण के अतिरिक्त अपीलार्थ  
है। पत्रावली फेसल मुद्रा होकर गवाहनी के रूप में नया  
वाद नकलित जात्रा हाजिर हुए हैं। अपीलार्थ  
मुनाफा गवाह 26/3/19

संभागीय आयुक्त  
जयपुर

26/3/19

2015/60105



न्यायालय माननीय सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

राजस्व अपील संख्या-296/2015

दिनांक 3-9-17

ओम शिव गृह निर्माण सहकारी समिति जरिये प्रतिनिधि मकखन लाल पुत्र  
श्री रामेश्वर लाल निवासी प्लॉट नम्बर 5, न्यू कॉलोनी, पंचा झोटवाडा  
जयपुर।

संभागीय आयुक्त  
जयपुर 24/5/16

-----अपीलाण्ट

बनाम

1. गिरिश कुमार ओझा पुत्र श्री राधेश्याम ओझा जाति ब्राह्मण निवासी  
प्लॉट नम्बर डी-282, मीरा मार्ग बनीपार्क जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

----- रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956  
विरुद्ध निर्णय-आदेश दिनांक 31-08-2009 बअदालत तहसीलदार  
आमेर जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 14/2009 बउनवानी गिरिश कुमार  
ओझा बनाम सरकार जिसमें गिरिश ओझा के नाम वसीयत के आधर  
मृतक नन्दकिशोर व गंगादेवी का 1/2 हिस्सा का नामान्तकरण दर्ज  
करने का निर्णय पारित किया।

शीमान्जी,

अपीलाण्ट व. ओर से अपील निम्न प्रकार सादर प्रस्तुत है :-

1. यह कि संक्षिप्त में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मौजूदा  
अपील के ~~विरुद्ध~~ निर्माण सहकारी समिति का

Handwritten signature: *Handwritten signature*  
NAND LAL SEN  
Notary (Govt. of India)  
JALANDHAR (INDIA)  
Reg.No. 9693 Comm. Exp. on 18.06.2018